

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(वित्त एवं व्यय)

वित्त एवं व्यय परिपत्र संख्या 28/2016

उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. दिनांक 25.02.1967 के प्राधिकरण संकल्प सं. 208 के द्वारा उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त एवं व्यय परिपत्र सं. 18/2016 दिनांक 22.08.2016 एवं 20/2016 दिनांक 09.09.2016 के आंशिक संशोधन में आकस्मिक व्यय के संबंध में आयुक्त एवं सचिव को वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन को संशोधित करते हैं :-

क्र.सं.	मद का विवरण को प्रत्यायोजित शक्तियां	मौद्रिक सीमा (आवर्ती और गैर-आवर्ती के संबंध में)
1	आकस्मिक व्यय (आवर्ती एवं गैर-आवर्ती)	आयुक्त एवं सचिव (सी.सी.एस.)	बीस लाख रु. की वार्षिक उच्चतम सीमा की शर्त पर एक समय में 2,00,000/- (दो लाख रु.) रु.। टिप्पणी: वरिष्ठ लेखाधिकारी (आकस्मिक व्यय) व्यय की वार्षिक सीमा की निगरानी के लिए एक रजिस्टर का रख-रखाव करेंगे।

2. आकस्मिक व्यय के संबंध में जिन अधिकारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, वे उनको प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार आकस्मिक/अप्रत्याशित व्यय के लिए अस्थायी अग्रिम भी संस्वीकृत कर सकते हैं।
3. वित्त एवं व्यय परिपत्र सं. 18/2016 एवं 20/2016 की अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तनीय रहेंगी।

(संतोष कुमार)
मुख्य लेखाधिकारी

सं. एफ.ई.16(35)2009/डी.डी.ए./पार्ट -III/603

दिनांक : 25.10.2016

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. उपाध्यक्ष/वित्त सदस्य/अभियंता सदस्य के निजी सचिव को उनके सूचनार्थ ;
2. मुख्य सतर्कता अधिकारी/प्रधान आयुक्त (भूमि निपटान/भूमि प्रबंधन) ;
3. आयुक्त (भूमि निपटान)/आयुक्त (भूमि प्रबंधन) ;
4. आयुक्त एवं सचिव/मुख्य विधि सलाहकार;
5. निदेशक (भूमि प्रबंधन)/निदेशक (नजारत)/वित्त सलाहकार (आवास)/निदेशक (भूमि लागत);
6. उप मुख्य लेखा अधिकारी (मुख्यालय)-I/उप मुख्य लेखा अधिकारी (बजट)/उप मुख्य लेखा अधिकारी (लेखा);
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी (आकस्मिक व्यय);
8. गार्ड फाइल।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वित्त एवं व्यय)